

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली



10:- 61/2018

तारीखरजू:-25.05.2018

निर्णय दिनांक:-

उनवान:- हरसहाय बनाम राजेन्द्र वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188

दिनांक	फर्द अहकाम
5.05.18	<p>वादी की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा आर.टी.एक्ट 188 के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 2.7.18 को को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>
2.7.18	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से श्री रामभरोसी बुवा M.W. ने वकालतनामा पेश किया। जबकि दावा पेश करने दि० 9.7.18 को पेश हो।</p>
9.7.18	<p>बकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी उपस्थित है। गतानुसार दिनांक 30.7.18 को पेश हो।</p>
30.7.18	<p>बकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी उपस्थित है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 10.8.18 को पेश हो।</p>
10.8.18	<p>वादी वकील प्रतिवादी वकील उपस्थित। जबकि दावा प्रतिवादीगण का पेश किया। वादी वकील ने जवाब की प्रति प्राप्त की। 1.0.सा० अन्य कार्य में व्यस्त थी आर्डर दि० 14.9.18 को पेश हो।</p>
4.9.18	<p>बकुलाय उप०। मनकी जायम केले दिनांक 16.10.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, करौली (राज०)</p>

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

27-18 वकूलाय उप०। तनकी कायम करने दिनांक 26.8.18 को पेश हो।

26.8.18 वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी डेवकाश पर पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 19.9.18 को पेश हो।

9-9-18 वकूलाय उप०। तनकी स्पष्ट की जाती है बाकी साक्ष्य पेश करने दिनांक 16.10.18 को पेश हो।

10-19 वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अयकाशप है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 20.11.18 को पेश हो।

0-11-18 पत्रावली पेश हुई। वकील अभयपस उपस्थित। वादी वकील ने Not Press का दावा स्वारिज करने का कपन किया। अतः यह दावा Not Press में स्वारिज किया जाता है। पत्रावली कैलरल शुमार होकर मम्ब से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)

Not Press  
15/11/2018  
20.11.2018

